**रजिस्टर्ड/सील्ड**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2**

**संख्या-93/2022/1702/22-2-2022-17(795)/2021**

**लखनऊ:दिनांक: 24 जून, 2022**

# शुद्धि-पत्र

बंदी शंकरपाल सिंह (बंदी सं0-212/2017) पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह के कारागार से मुक्त करने विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 के आदेश संख्या-29/2022/124/22-2-2022-17(795)/2021 दिनांक 18 मई, 2022 की दसंवी पंक्ति पर अंकित 'जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर' के स्थान पर ' जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़' पढ़ा जाय।

2 उक्त शासनादेश दिनांक 18-05-2022, इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

**संख्या-93/2022/1702(1)/22-2-2022 तद्दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त शासनादेश दिनांक 18-05-2022 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।